



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 19681 सन् 2025

शारदा रानी

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अवधेश कुमार

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार और राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री अनूप कुमार को सुना।
- याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उन्हें 25.11.1983 को बेसिक हेल्थ वर्कर (बी.एच.डब्ल्यू.) के पद पर नियुक्त किया गया था और वे 30.11.2020 को सेवानिवृत्त हुए, लेकिन उन्हें 01.12.2020 से जीपीएफ और बीमा राशि के साथ 16% प्रति वर्ष का ब्याज नहीं दिया गया है।
- विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय तीसरे प्रत्यर्थी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा किया जाएगा।



4. बार में प्रस्तुत निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह 22.01.2026 तक तीसरे प्रत्यर्थी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अलीगढ़ के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति सहित एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। इसके बाद, तीसरे प्रत्यर्थी दो माह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय करेंगे।

14 जनवरी, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)